Madhya Pradesh State Biodiversity Board
Department of Forest, Government of Madhya Pradesh
26, Kisan Bhawan, First Floor, Arera Hills, Bhopal-462011
Website : www.mpsbb.mp.gov.in , Email : mpsbb@mp.gov.in
Phone No. 0755 - 2554549 / 2554539

क्र./जैविबो/सहा.स.स. (प्रशा./वित्त)/2023/69 भोपाल, दिनांक 06.01.2023

वाहन निष्प्रयोजित/अपलेखन हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के आधिपत्य का शासकीय वाहन मारूती स्टीम क्रमांक एम.पी. 04 सी.ए. 1860 मॉडल GRGCST181236B Date 16.02.1982 निष्प्रयोजित राशि रूपये 18,000/— (अठारह हजार मात्र) को (जहां है, जैसी स्थिति में है) **नीलामी दिनांक 23.01.2023 को प्रातः 11.30 पूर्वान्ह** बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से देय राशि रूपये 2,000/— का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में दिनांक 20.01.2023 को अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है।

नीलामी एवं वाहन संबंधी दिशानिर्देश की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में, सहायक सदस्य सचिव (प्रशा./वित्त), मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल की वेबसाइट www.mpsbb.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।

—हस्ता—
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

वाहन निष्प्रयोजित/अपलेखन हेतु दिशानिर्देश

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय वाहन की नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार हैः–

1. शासकीय वाहन मारूती स्टीम क्रमांक एम.पी. 04 सी.ए. 1860 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि रूपये 18,000/– (अठारह हजार मात्र) नियत है।

2. उपरोक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन मारूती स्टीम की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से देय राशि रूपये 2,000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में दिनांक 20.01.2023 को अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा कर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन के क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 7 (सात) दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि का मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से देय ऑनलाईन या बैंक ड्राफ्ट माध्यम से जमा कराकर, वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।

8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु **प्रियदर्शनी, फॉरेस्ट रेस्ट हाऊस, चार इमली, भोपाल** में उपलब्ध है इस हेतु कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से संपर्क करें।

9. नीलामी की कार्यवाही दिनांक **23.01.2023 को प्रातः 11.30 पूर्वान्ह बजे कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल** में की जावेगी।

10. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

12. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

13. वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवें। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

14. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण पर बोर्ड में गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

—हस्ता—
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड